विविध बैंक प्रकरण संख्या 79/2020(GCMS : 2020/00222) भारतीय स्टेट बैंक शाखा – मुख्य शाखा, श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगारगर जरिये श्री आर.एस. बैरवा, प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय 34–एफआईएमएम, हनुमानगढ जं. (राज.) **बनाम 1. मैसर्स लखियाँ फिल्लिंग स्टेशन जरिये पार्टनर 1. ऋषि आहुजा** पुत्र चिमन लाल आहुजा एवं पार्टनर – 2 **गौतम आहुजा** पुत्र चिमन लाल आहुजा, के/ऑफ नजदीक ज्ञान ज्योति कॉलेज, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर **2. शिवराज सिंह** पुत्र डिप्टी सिंह निवासी गांव 48 एफ मौडा, पोस्ट ऑफिस 47 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

01.06.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक श्री मंगतराम, अधिवक्ता उपस्थित हुए और निवेदन किया कि प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक ने अप्रार्थीगण **मैसर्स लखियाँ फिल्लिंग स्टेशन, शिवराज सिंह** द्वारा बैंक के ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण उनके द्वारा बैंक ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी **शिवराज सिंह की रिहायशी** सम्पत्ति प्लॉट नं. 258 (क्षेत्रफल 80′ गुणा 104′ वर्गफुट), चक 46 एफ (मौड़ा), पदमपुर रोड, तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर, **रिहायशी अहाता नं. 263** (क्षेत्रफल 5652 वर्गफुट), चक 46 एफ (मौड़ा), पदमपुर रोड, तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर, **रिहायशी मकान नं. 264** (क्षेत्रफल 4940 वर्गफुट), चक 46 एफ (मौड़ा), पदमपुर रोड, तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर, **रिहायशी मकान नं. 257** (क्षेत्रफल 11009 वर्गफुट), चक 46 एफ (मौड़ा), पदमपुर रोड, तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर एवं **रिहायशी प्लॉट नं. 158** (क्षेत्रफल 5400 वर्गफुट), चक 46 एफ (मौड़ा), पदमपुर रोड, तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिए धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 09.10.2020 को प्रस्तुत कर रखा है और अब चूंकि अप्रार्थीगण ऋणियों द्वारा प्रार्थी बैंक की बकाया समस्त राशि जमा करवा दी है इसलिए प्रार्थी बैंक ऋणियों के विरूद्ध इस प्रकरण में किसी प्रकार की आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहता है **अर्थात नॉट प्रेस करता है और अगर इस** प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाई समाप्त कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

मैने, उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 09.10.2020 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण **मैसर्स लखियाँ फिल्लिंग स्टेशन, शिवराज सिंह** के विरूद्ध पेश कर ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी **शिवराज सिंह** की **रिहायशी सम्पत्ति प्लॉट नं. 258** (क्षेत्रफल 80′ गुणा 104′ वर्गफुट), चक 46 एफ (मौड़ा), पदमपुर रोड, तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर, **रिहायशी अहाता नं. 263** (क्षेत्रफल 5652 वर्गफुट), चक 46 एफ (मौड़ा), पदमपुर रोड, तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर, **रिहायशी मकान नं. 264** (क्षेत्रफल 4940 वर्गफुट), चक 46 एफ (मौड़ा), पदमपुर रोड, तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर, **रिहायशी मकान नं. 257** (क्षेत्रफल 11009 वर्गफुट), चक 46 एफ (मौड़ा), पदमपुर रोड, तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर एवं **रिहायशी प्लॉट नं. 158** (क्षेत्रफल 5400 वर्गफुट), चक 46 एफ (मौड़ा), पदमपुर रोड, तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और **अब चूंकि प्रार्थी बैंक इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है।** इस आश्य का लिखित **प्रार्थना पत्र प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने पेश किया है, जो पत्रावली में** उपलब्ध है। **इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज** करना उचित होगा।

अतः **उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी** भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की **धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 01.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर